

1.	विभाग—	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ( राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)
2.	योजना का नाम—	निक्षय पोषण योजना
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी—	निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था से इलाज पा रहे नोटिफाइड टीबी के मरीजों को रू0 500 प्रति माह का पोषण भत्ता दिया जायेगा।
4.	पात्रता की अर्हता—	समस्त नोटिफाइड क्षय रोगी
5.	आवेदन की प्रक्रिया—	निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत समस्त क्षय रोगी अपने बैंक खाता का विवरण व अपना आधार कार्ड नम्बर सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई (आरएनटीसीपी) के एस0टी0एस0 को उपलब्ध करायेगा।
6.	लिंक वेबसाईट	<a href="https://nikshay.gov.in/HFUSER/HFLogin.aspx">https://nikshay.gov.in/HFUSER/HFLogin.aspx</a> , <a href="https://tbcindia.gov.in/">https://tbcindia.gov.in/</a>
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक, चिकित्सा, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।